सहकारी सिंचाई समिति लि०

की

उप-विधियाँ

प्रकाशक
निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश
लखनऊ

सहकारी सिंचाई समिति लि० की उप-विधियाँ

नाम तथा पता

१—यह समिति·········सहकारी सिंचाई समिति लिमिटेड कहलायेगी और इसका रजिस्टर्ड पता·········डाकखाना·········तहसील·········जिला ·····होगा।

कार्यक्षेत्र

२—समिति के कार्यक्षेत्र में वे·········सभी ग्राम सम्मिलित होंगे जिनकी भूमि को सिंचाई की सुविधा उन सिंचाई के साधनों से उपलब्ध होगी जो कि समिति ने सदस्यों के लाभ तथा अपने हित के लिये राज्य सरकार से या अन्य साधनों द्वारा निर्माण किराये हो, प्राप्त किये हो, किराये पर या उधार लिये हो।

परिभाषायें

३—विषय या प्रसंगों में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों में :—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९६६) से है।

(ख) 'नियमों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ से है।

(ग) 'कमेटी' का तात्पर्य समिति की ऐसी प्रबन्ध कमेटी से है जैसा कि अधिनियम में वर्णित है।

(घ) 'निबन्धक' का तात्पर्य क्षेत्र के उप निबन्धक/सहायक निबन्धक प्रभारी से भी होगा, परन्तु यदि अधिनियम नियमों या राज्य सरकार द्वारा

अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निबन्धक के कोई अधिकार इस समिति के समबध में किसी अन्य अधिकारी को दिये गये हों, तो उन अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में निबन्धक का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से भी होगा।

(ङ) 'सहायक निबन्धक' का तात्पर्य नियमों में परिभाषित व्यक्ति से है।

(च) 'समिति' का तात्पर्य उपविधि (१) में वर्णित समिति से है।

(छ) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ज) 'उपविधियों' का तात्पर्य इस समिति की निबन्धित उपविधियों से है।

उद्देश्य

४—समिति का उद्देश्य सदस्यों में बचत, स्वावलम्बन, और सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन देना और अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार प्रोन्नति करना।

(क) मुख्य उद्देश्य

(१) कार्यक्षेत्र के सदस्यों तथा अन्य कृषकों के लिये निर्माण द्वारा प्राप्त करके, किराये पर क्रय करके अथवा ऋण रूप में लेकर अथवा अन्य प्रकार से सिंचन साधन तथा अन्य कृषि सम्बन्धी सुविधायें राज्य सरकार या दूसरी एजेन्सी द्वारा, प्रबन्ध कमेटी द्वारा लगाई गयी तथा साधारण सभा द्वारा स्वीकृत शर्तों पर उपलब्ध करना।

(२) उपरोक्त उद्देश्यों के लिये निधियों का उपलब्ध करना।

(३) सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त शुल्क लगाना।

(४) समिति के पास जो सिंचन साधन है उनके रखरखाव और बकाया तथा जुर्माने की वसूली का समस्त प्रबन्ध करना।

(५) सिंचाई के साधनों को प्रारम्भ समुन्नत तथा विकसित करना।

(ख) गौण उद्देश्य

(१) समिति के कार्यक्षेत्र के सदस्यों तथा कृषकों को कृषि कार्य और खेती की उपज बढ़ाने के लिये सुविधायें प्रदान करके सामान्य स्तर बढ़ाना।

(२) मुख्यतः समिति के सदस्यों के लिये ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देना और करना जो सामान्य लाभ के लिये सहायक हों तथा समिति के क्षेत्र के अन्य कृषक भी उससे लाभान्वित हों तथा समिति के उद्देश्यों को बढ़ावा मिले।

सदस्यता

५—समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(अ) धारा १७ (१) (क) के प्राविधानों के अनुसार वह व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत विधि के अनुसार व्यस्क हो तथा जो स्वस्थ चित का हो और अपने पर प्रवृत विधि के अनुसार संविदा करने के लिये अनर्हित न हो, समिति का सदस्य हो सकता है।

(ब) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य सहकारी समिति।

(स) राज्य सरकार।

(द) निबन्धक की आज्ञा से कोई अन्य नियमित निकाय।

६—समिति में निम्न प्रकार की सदस्यता होगी :—

(१) साधारण सदस्य— जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) समिति के कार्यक्षेत्र के वे व्यक्ति जो खेती करते हों या भूमि के मालिक हों अथवा ट्यूबवेल या किसी अन्य सिंचाई साधन के क्षेत्र में हों, जो समिति का हो।

(ख) जिल/ केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य सहकारी समिति।

(ग) राज्य सरकार।

(घ) निबन्धक की आज्ञा से कोई अन्य निगमित निकाय। साधारण सदस्य का दायित्व उनके हिस्से/हिस्सों के अंकित मूल्य के····गुना तक होगा।

(२) सहानुभूतिकर सदस्य—

(क) कोई व्यक्ति जो समिति के उद्देश्य की पूर्ति तथा सदस्यों के कल्याण में वास्तविक अभिरुचि रखता हो, सहानुभूतिकर सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) समिति में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या, किसी भी समय साधारण सदस्यों की कुल संख्या के पाँच प्रतिशत से अधिक न होगी और प्रबन्ध कमेटी में सहानुभूतिकर सदस्यों को संख्या, यदि १० से अधिक हो, तो उनका केवल एक प्रतिनिधि प्रबन्ध कमेटी में होगा। समिति में सहानुभूतिकर सदस्य का दायित्व उसके हिस्से/हिस्सों के अंकित मूल्य का...गुना तक होगा।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का सहानुभूतिकर सदस्य बनना चाहता है उसे प्रपत्र 'अ' पर समिति के सचिव को प्रार्थना पत्र देना होगा।

(३) नाममात्र सदस्य

(क) कोई व्यक्ति जिसके साथ समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो, नाममात्र सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) नाममात्र सदस्य को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और न वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र होगा।

(ग) नाममात्र सदस्य को समिति में किसी प्रकार के मतदान का अधिकार न होगा।

(घ) समिति के समापित किये जाने पर नाममात्र सदस्य का दायित्व समिति के दायित्व में उसके प्रवेश शुल्क तक सीमित होगा परन्तु वह स्वयं लिये हुए ऋण अथवा प्रतिभूति के लिये पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

(४) सम्बद्ध सदस्य

(क) कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी हैं, जो समिति के कारोबार मौसमी या अस्थायी कर्मचारी अथवा शिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध सदस्य न तो प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये ही पात्र होगा और न उसे समिति के लाभों में कोई हिस्सा पाने का अधिकार होगा।

(ग) सम्बद्ध सदस्य को समिति में किसी प्रकार के मतदान का कोई अधिकार न होगा।

(घ) समिति के समापित किये जाने पर सम्बद्ध सदस्य का दायित्व समिति के दायित्व में उसके प्रवेश शुल्क तक सीमित होगा। परन्तु वह स्वयं लिये हुए ऋण अथवा प्रतिभूति के लिये पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

७—(१) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रजिस्ट्री के लिये दिये जाने वाले प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर किये हों, यह लोग मूल-सदस्य कहलायेंगे और उन्हें प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा।

(२) तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति जो उपविधियों के अनुसार सदस्य बनेंगे उन्हें प्रवेश के समय एक रुपया प्रवेश शुल्क देना होगा।

८—(क) समिति का सदस्य बनने के लिये प्रार्थना पत्र समिति के सचिव को ऐसे रूपपत्र पर देना होगा जो समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। इस प्रार्थना पत्र पर दो व्यक्तियों की गवाही भी होगी।

(ख) प्रबन्ध कमेटी सदस्यता के प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् प्रार्थी को सदस्य बनाना स्वीकार कर सकती है अथवा यथोचित कारणों से सदस्यता के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर सकती है।

(ग) प्रबन्ध कमेटी सदस्यता के प्रार्थनापत्र पर नियम ३८के प्राविधानों के अनुसार निर्णय लेगी तथा सदस्यता अस्वीकार करने की दशा में उस प्रार्थी को निर्णय लिये जाने की तिथि के सात दिन के भीतर समिति अस्वीकृति के कारण बतलाते हुये संसूचित करेगी।

(घ) प्रार्थनापत्र के अस्वीकार किये जाने पर व नियम ३८ (ग) में निर्धारित अवधि में सदस्यता के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय न लिये जाने की दशा में, प्रार्थी को निबन्धक के यहाँ अपील करने का अधिकार होगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा प्रार्थी और समिति उसे मानने के लिये बाध्य होंगे।

९---प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनने के पश्चात् :--

(१) इस विषय के एक घोषणा पत्र (प्रपत्र 'स') पर हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति की वर्तमान उप विधियों तथा उनकी सदस्यता की अवधि में किये गये परिवर्तनों तथा संशोधनों, यदि कोई हो, और सामान्य निकाय अथवा प्रबन्ध कमेटी के निर्णयों, विनियमों तथा नियमों का पालन करने को बाध्य होगा। मूल सदस्यों से समिति के निबन्धम के एक मास के भीतर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी अन्यथा वह समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने का भागी होगा।

(२) उप विधि ७ (२) के अनुसार सदस्य शुल्क एक रुपया देना होगा।

(३) समिति द्वारा प्रदिष्ट एक अथवा अधिक हिस्सों की धनराशि का भुगतान न कर दे।

१०---कोई सदस्य सदस्यता के अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकारी न होगा जबतक कि उपरोक्त उपविधि ९ के प्राविधानों की पूर्ति न की हो तथा प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रदिष्ट हिस्से/हिस्सों की पहली किस्त अदा न कर दी है।

११---प्रत्येक सदस्य समिति की सदस्यता के लिये प्रार्थी होने पर, या बाद में अपनी सम्पत्ति और दायित्व का एक सच्चा तथा पूर्ण ब्यौरा देगा। कोई सदस्य असलियत के छिपाने का अपराधी होने पर या असलियत छिपाकर या गलत सूचना देकर धन अथवा अन्य सुविधायें लेने पर प्रबन्ध कमेटी उस पर १०० रु० तक जुर्माना कर सकती है या समिति से अलग कर सकती है अथवा दोनों दण्ड दे सकती है जैसा कि सामान्य निकाय द्वारा निर्णय लिया गया हो।

१२---यदि कोई सदस्य समिति के साथ बेइमानी का व्यवहार करता है या जानबूझ कर या अनजाने में ऐसे कार्य करता हैं जो समिति के हित के विपरीत हो, अथवा सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गए विनियमों के विपरीत सिंचाई शुल्क या ऋण की किस्त समय पर अदा न

करने पर, प्रबन्ध कमेटी उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से एक या एक सेअधिक कार्यवाही सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत करेगी :—

(१) एक निश्चित अवधि के लिये उसके खेतों की सिंचाई हेतु पानी न देना।

(२) किसी भी दशा में दण्ड के रूप में १०० रु० से अधिक जुर्माना न करना।

(३) प्रबन्ध कमेटी द्वारा दी गई नोटिस के अनुसार निश्चित तिथि से भविष्य के लिये पहले से दूना शुल्क बढ़ाना।

(४) सदस्यता से हटाना या निकालना।

१३---सदस्य को समिति से निम्न प्रकार हटाया या निकाला जायेगा :—

(क) अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित रीति से किसी सदस्य को समिति की सदस्यता से नियम ५६, ५७ तथा ५८ के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी की किसी बैठक में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों के बहुमत के मतों से हटाया या निकाला जा सकता है।

(ख) कोई निकाला अथवा हटाया गया सदस्य, हटाये अथवा निकाले जाने के आदेश की प्राप्ति के ३० दिन के भीतर, प्रबन्ध कमेटी के निर्णय के विरुद्ध निबन्धक को अपील करने का अधिकारी होगा।

(ग) कोई निकाला गया सदस्य निकाले जाने के प्रस्ताव अथवा आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से दो साल की अवधि तक समिति का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से ३ वर्ष की अवधि तक समिति के अधीन कोई पद ग्रहण करने अथवा प्रबन्ध कमेटी का सदस्य चुने जाने के लिये चुनाव लड़ने का पात्र नहींहोगा।

१४---सदस्यों के उत्तराधिकारी अथवा अनुवर्ती समिति के सदस्य, इस शर्त पर सदस्य हो सकते हैं यदि वह मूल सदस्यों की कुल जिम्मेदारियों तथा दायित्वों को स्वीकार कर लें। यदि वे समिति के सदस्य नहीं बनाये जाते हैं

तो मूल सदस्यों की जिम्मेदारी उनके उत्तराधिकारियों अथवा अनुवर्तियों पर विधि के अनुसार आरोपित होगी ।

१५—प्रत्येक कृषक जो कृषि करता है अथवा भूमि का स्वामी है और समिति के नलकूप अथवा अन्य सिंचाई साधन समादेश में रहता है वह समिति की सदस्यता के लिए पात्र होगा परन्तु वह अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के अनुसार अन्यथा अनर्ह न हो ।

१६—अलग किये गये सदस्यों को प्रबन्ध कमेटी अपना हिस्सा निकालने के लिये इस शर्त पर अनुमति दे सकती है कि जितना धन कुएं/सिंचाई के अन्य साधनों के निर्माण में लगा है, सम्बन्धित सदस्यों से जो समिति पर देय धन हो, समायोजित कर लिया जाये । इस उपविधि के अन्तर्गत जिला सहायक निबन्धक की पूर्व अनुमति के बिना धन का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

१७—सदस्यों तथा कृषकों को सिंचाई की आवश्यकता के लिये, समिति सिंचाई के साधनों का निर्माण करेगी, सुधार करेगी, अध्याप्त करेगी, पट्टे पर लेगी अथवा क्रय करेगी तथा मशीनों व सिंचाई के अन्य वर्तमान साधनों का अनुरक्षण तथा मरम्मत करायेगी । इस प्रकार के निर्माण, सुधार, अध्याप्ति पट्टे, क्रय अनुरक्षण तथा परिस्थापन सम्बन्धी परिव्यय, मशीन या उसके भागों हेतु जो समिति के वर्तमान सिंचाई के साधनों में प्रयोग में हो, का विभाजन सदस्यों में उसकी उस भूमि के अनुसार होगा जिस पर परिव्यय हुआ हो । सदस्य इस प्रकार निर्धारित धनराशि या तो नकदी के रूप में देंगे या समिति के हक में लिखित बन्ध पत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे ।

सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित ब्याज की दर पर इस ऋण की वापसी हेतु प्रबन्ध कमेटी उत्तरदायी होगी और इस ऋण की वसूली में आसान किस्तों में कोई उपशम दे सकेगी ।

सदस्य द्वारा जो धन उसके हिस्से में अधिक जमा हो जायेगा वह समिति में उसके निक्षेप में जमा कर लिया जावेगा जिस पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित दर से ब्याज भी दिया जायेगा ।

१८—(१) कोई सदस्य एक घोषणापत्र द्वारा एक व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट

करेगा जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके अंश या हित, यदि कोई हो, दिया या हस्तान्तरित किया जा सकता है ।

(२) नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, नया घोषणापत्र भर कर समिति को देने पर बदला जा सकेगा । यदि सदस्य द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सदस्य उसकी मृत्यु को सूचना समिति को देगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगा । प्रत्येक नाम निर्देशन दो साक्षियों द्वारा किया जायगा । यदि किसी व्यक्ति का नाम निर्देशन नहीं किया गया हो या नाम निर्देशन करने वाले सदस्य की मृत्यु के पूर्व ही नाम निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो सदस्य के अंश या हित की धनराशि का वास्तविक भुगतान ऐसे व्यक्ति को अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अदा या हस्तान्तरित किया जायेगा, जो कमेटी को सदस्य का उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो ।

(३) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने किसी मृत सदस्य के अंशों या हितों को सामूहिक रूप से, दायद या विधिक प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार में प्राप्त किया हो, ऐसे व्यक्ति भी समिति के सदस्य बनाये जा सकते हैं :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सामूहिक उत्तराधिकार की दशा में, इस प्रकार के व्यक्ति अपने में से किसी एक व्यक्ति को घोषणा (प्रपत्र "ब") द्वारा नाम निर्दिष्ट करेंगे जो सदस्यता के समस्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिये सक्षम होगा । इस प्रकार नाम निर्देशन के पश्चात् समिति अंश प्रमाण पत्र में नामों को इस प्रकार अंकित करेगी कि ऐसे नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम सामूहिक धारकों की सूची में क्रम संख्या एक पर रहेगा ।

(४) अवयस्क को देय समस्त धनराशियों का भुगतान उसे उसके अभिभावक के माध्यम से किया जायेगा ।

१९—समिति की पूंजी में किसी साधारण व्यक्तिगत या सहानुभूतिकर सदस्य द्वारा जमा किये गये हिस्सों की संख्या का विचार किये बिना उसको समिति के प्रशासन में एक मत प्राप्त होगा ।

२०—किसी समिति या निगमित निकाय के सदस्य होने की दशा में, प्रत्येक सदस्य-समिति या निगमित निकाय का प्रतिनिधि जो इस समिति की सामान्य निकाय का सदस्य होगा उसको उपविधियों के अनुसार एक मत देने का अधिकार होगा।

२१—यदि राज्य सरकार समिति की सदस्य बनती है तो प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जिसे राज्य सरकार ने समिति की प्रबन्ध कमेटी अथवा सामान्य निकाय के लिये नाम निर्दिष्ट किया हो, एक मत देने का अधिकार होगा।

२२—यदि समिति में २५० से अधिक सदस्य हों तो सदस्यों के एक समूह या वर्ग के प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों द्वारा समिति के कार्यों में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत देने का अधिकार होगा।

टिप्पणी :—किसी भी दशा में किसी भी सदस्य को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

पूँजी

२३—समिति की पूँजी निम्नलिखित में से कुछ या सबको मिलाकर बनेगी।

(१) प्रवेश शुल्क से,

(२) अंशधन से,

(३) सदस्यों तथा असदस्यों की अमानतों से,

(४) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, सहकारी विकास संघों, वाणिज्य बैंकों, सदस्यों, असदस्यों, सरकार तथा अन्य अभिकरण (एजेन्सी) जो कि अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत हों, प्राप्त ऋणों से,

(५) तकावी, सहाय्य अथवा अनुदान जो राज्य सरकार या सहकारी संस्थाओं से प्राप्त हों,

(६) सदस्यों तथा असदस्यों के स्वैछिक चन्दे से,

(७) दान से,

(८) रक्षित तथा अन्य निधियों से,

(९) अवितरित लाभ से।

अंश

२४—प्रत्येक सदस्य को एक रुपया प्रवेश शुल्क देना होगा। मृत सदस्य का नाम निर्दिष्ट व्यक्ति इस शुल्क से मुक्त होगा।

२५—प्रत्येक सदस्य कम से कम एक या अधिक से अधिक ५०००रू-या कुल अंशों की पूजी का १/५ भाग, जो भी कम हो, जैसा कि समिति ने प्रदाय किया हो, के मूल्य के अंश लेगा। प्रत्येक अंश का मूल्य पचास रूपया होगा। जैसा कि व्यवहारिक हो समिति अंशों के प्रदाय के विषय में सदस्यों द्वारा समिति के कुवाँ तथा अन्य सिंचन साधनों से कितने एकड़ भूमि को सिंचाई की जा सकेगी, का भी ध्यान रक्खेगी।

२६—प्रत्येक अंश की धनराशि या तो एक मुश्त समिति को या समान छमाही किस्तों में, जैसा कि प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित किया जावे, देय होगी।

२७—यदि कोई सदस्य अंशों की किस्त वाजिब तिथि से १८ माह तक अदा करने में असमर्थ रहता है तो कमेटी उचित सूचना देने के पश्चात् ऐसे हिस्सों को उन समस्त भुगतानों सहित जो इस सन्दर्भ में किये गये हों, जब्त कर सकती है और उन अंशों से सम्बद्ध सदस्यता का अधिकार समाप्त हो जायगा। इस प्रकार जब्त किये गये अंश जब्त करने की सूचना की तिथि से छः मास के भीतर अंशों की समस्त बाकी धनराशि ६ प्रतिशत ब्याज सहित और एक रुपया प्रति अंश नवीनीकरण शुल्क जमा करने पर, नवीनीकरण किये जा सकते हैं। यदि ऐसे अंशों का नवीनीकरण नहीं होता है तो जब्त अंशों की धनराशि रक्षित निधि में जमा कर दी जावेगी।

२८—कोई भी व्यक्ति अपने अंश या अंशों को ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा जो कि सदस्य होने के योग्य न हो और समिति ने उसे सदस्य न बना लिया हो।

२९—कोई सदस्य जो त्याग पत्र दे दे या कमेटी द्वारा निकाल दिया जाय और उसका मनोनीत व्यक्ति या वैधानिक उत्तराधिकारी सदस्य न बनाया गया हो, अंशों की धनराशि वापस पाने का तब तक अधिकारी नहीं होगा जब तक कि समिति की समस्त देय धनराशि उसने अदा न कर दी हो और अधिनियम की धारा २५ के अन्तर्गत निर्धारित अवधि समाप्त न हो गयी हो। समिति द्वारा जमा अंशों की धनराशि पर ब्याज दिया जायगा जिसकी दर अंशों पर घोषित अन्तिम लाभांश से अधिक न होगी। यह ब्याज धन के भुगतान की तिथि तक अथवा यदि वह व्यक्ति वाजिब तिथि पर भुगतान प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो भुगतान सूचना की तिथि तक, दिया जायगा।

ऋण और अमानतें

३०—कमेटी समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण एवं अमानतें एकत्र करेगी और उन पर देय ब्याज दर घोषित करेगी। पूँजी का वह अंश जिसकी समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तुरन्त आवश्यकता नहीं है, अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अनुसार लगाया जायगा।

विनियोग

३१—समिति अपने कोषों का विनियोग अथवा जमा, अधिनियम की धारा ५९ के अन्तर्गत निर्धारित विधि से और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्राविधानों के अनुसार, करेगी।

संगठन एवं प्रबन्ध

३२—समिति के सारे कार्य संचालन का प्रबन्ध निम्नलिखित निकायों और अधिकारियों में निहित होगा।

(अ) सामान्य निकाय,

(ब) प्रबन्ध कमेटी,

(स) सभापति,

(द) उपसभापति,

(य) सचिव।

सामान्य निकाय

३३—समिति का अन्तिम प्राधिकार सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगी जोकि समिति के सदस्यों द्वारा निर्मित होगी। यदि किसी अवस्था में समिति के सदस्यों की संख्या २५० से अधिक हो जाये तो समिति के कार्य क्षेत्र को इतने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि समिति सदस्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निश्चित करे। ऐसी स्थिति में सामान्य निकाय का गठन सदस्यों द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों से, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यों की निश्चित संख्या, जैसा कि सामान्य निकाय निश्चित करे, पर एक प्रतिनिधि की दर से किया जायगा प्रत्येक सदस्य केवल उसी क्षेत्र से प्रतिनिधि के चुनाव के लिये योग्य होगा जिसमें वह रहता हो। सामान्य निकाय की बैठक सामान्य बैठक कहलायेगी।

३४—समिति की सामान्य निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।

(१) व्यक्तिगत साधारण सदस्य अथवा उनके प्रतिनिधि, जैसी स्थिति हो,

(२) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रतिनिधि, यदि वह सदस्य है,

(३) राज्य सरकार के प्रतिनिधि,यदि वह सदस्य है,

(४) निगमित निकाय के प्रतिनिधि, यदि वह सदस्य है,

(५) सहानुभूतिकर सदस्य।

३५—सामान्य निकाय की बैठक के लिये सदस्यों या प्रतिनिधियों की १/३ उपस्थिति की गणपूर्ति होगी। यदि कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाय तो स्थगित बैठक ऐसी कम गणपूर्ति से भी की जा सकती है जो मूलगणपूर्ति से पचास प्रतिशत से कम न हो, प्रबन्ध कमेटी, समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलायेगी :—

(१) प्रत्येक रबी तथा खरीफ फसल के अन्त में,

(२) सभापति के बुलाने पर,

(३) सदस्यों या प्रतिनिधियों के १/५ की लिखित प्रार्थना पर,

(४) निबन्धक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के आदेश पर।

वार्षिक सामान्य बैठक

३६—सहकारी वर्ष की समाप्ति पर नियम ६० के प्राविधानों के अनुसार सचिव, वार्षिक सामान्य बैठक बुलायेगा। ऐसी बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम १५ दिन पूर्व दी जायगी।

३७—वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न होंगे :—

(१) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के कार्यकलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन।

(२) अधिनियम, नियमों और उप विधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का चुनाव, यदि कोई होना हो।

(३) गत सहकारी वर्ष के रोकड़ पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा पूरी न हुई हो।

(४) गत सहकारी वर्ष के लेखा-परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के अन्दर लेखा-परीक्षा पूरी न हुई हो।

(५) आगामी सहकारी वर्ष के लिये समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।

(६) शुद्ध लाभ का निस्तारण।

(७) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार।

(८) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से सभापति एवं उपसभापति का चुनाव, यदि कोई होना हो।

(९) उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत किये गये अन्य विषयों पर विचार।

विशेष सामान्य बैठक

३८—समिति की विशेष साधारण सभा अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी (**Authority**) द्वारा और विशिष्ट उद्देश्यों के लिये बुलाई जायेगी।

सामान्य निकाय के अधिकार

३९— समिति के सामान्य निकाय को निम्नलिखित अधिकार होंगे :—

(१) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ के अध्याय २९ के आठवें भाग में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार सभापति अथवा उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करना।

(२) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार सभापति अथवा उपसभापति के आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से करना।

(३) सिंचाई की दर का मापदण्ड निर्धारित करना।

(४) प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में सिंचाई का दिन और समय निश्चित करना और सिंचाई से सम्बन्धित विषयों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर आदेश प्रसारित करना।

(५) मुख्य विषयों पर प्रबन्ध कमेटी के निर्देशन हेतु नीति निर्धारित करना।

(६) यह देखना कि समिति का प्रशासन अधिनियम, नियमों और इन उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार चलाया जाता है।

उपरोक्त विषय (१) के अतिरिक्त सभी विषय बहुमत से निर्णीत होंगे। समान मत आने की दशा में सभापति को एक अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

४०—समस्त सम्पन्न कार्यवाही एक कार्यवाही रजिस्टर में लिखी जायगी और समिति के सभापति और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

साधारणतया साधारण अधिवेशन की तिथि से १५ दिन पूर्व सामान्य निकाय के समस्त सदस्यों को सामान्य बैठक की सूचना दी जायगी। जिसमें बैठक के स्थान, तिथि, समय और विचाराधीन विषयों का विवरण होगा। वार्षिक सामान्य बैठक की दशा में भी सूचना की अवधि कम से कम १५ दिन पूर्व की होगी, और उसके साथ वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र और रोकड़ पत्र संलग्न होंगे। सामान्य निकाय के किसी भी सदस्य को सूचना न मिलने के कारण बैठक की कार्यवाही अवैधानिक नहीं होगी।

४१—(अ) सामान्य निकाय के किसी सदस्य को जो सामान्य निकाय में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हो, बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व सचिव को लिखित विवरण देना होगा।

विशेष परिस्थितियों में सभापति कम समय की सूचना की भी स्वीकृति दे सकते हैं।

(ब) निम्न विषयों के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी :—

(१) कार्यक्रम के विषयों के क्रम में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

(२) बैठक की समाप्ति या स्थगन का प्रस्ताव।

(३) कार्यक्रम के अगले विषय पर विचार करने का प्रस्ताव।

(४) विचाराधीन विषय को विचार विमर्श निर्णय अथवा प्रतिवेदन हेतु कमेटी को भेजने का प्रस्ताव।

(५) इस आशय का प्रस्ताव कि बैठक एक अथवा अधिक कमेटियों में विभक्त हो।

(६) बैठक में प्रस्तुत किसी विषय पर जांच हेतु अथवा प्रतिवेदन हेतु एक कमेटी के चुनाव करने का प्रस्ताव।

(७) इस आशय का प्रस्ताव कि विषय मतगणना द्वारा निर्णीत हो।

(८) ऐसे विषय पर विचार करने का प्रस्ताव जो कमेटी की राय में अति आवश्यक हो।

(९) उपस्थित सदस्यों के २/३ सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव।

४२—(अ) यदि बैठक के लिये निश्चित समय के एक घंटे के अन्दर कोरम पूरा न हो और बैठक सदस्यों की माँग पर बुलाई गई हो तो बैठक समाप्त हो जायेगी।

(ब) यदि कार्यक्रम के सभी विषयों पर बैठक के लिये निर्धारित तिथि पर विचार न किया जा सके तो बैठक किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित कर दी जायगी जैसा कि उपस्थित सदस्य निश्चित करें। जब स्थगित बैठक होगी तो पहली बैठक के कार्यक्रम के शेष विषयों पर विचार किया जायगा।

४३—सामान्य बैठक स्थगित की जा सकती है यदि :—

(१) इस प्रकार अनुशासन भंग हो जाय कि कार्यवाही चालू रखना सम्भव न हो अथवा अनुशासन और कानून भंग होने की सम्भावना हो।

(२) बैठक में उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक स्थगन की माँग करें, या मत दें।

(३) कोरम पूरा न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक नियम ४१२ के प्राविधानों के अनुसार सोलवें दिन होगी।

प्रबन्ध कमेटी

४४—समिति की प्रबन्ध कमेटी निम्न प्रकार गठित होगी :—

(१) सामान्य निकाय द्वारा प्रबन्ध कमेटी के लिये निर्वाचित आठ सदस्य,

(२) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक, यदि वह सदस्य हो, का एक प्रतिनिधि,

(३) धारा ३४ तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार, यदि वह सदस्य हो, के नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति,

(४) निबन्धक का नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति,

(५) सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या यदि १० से अधिक हो तो उनका एक प्रतिनिधि,

(६) निगमित निकायों के प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि, यदि वह निकाय समिति के साधारण सदस्य हों,

(७) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आमेलित एक व्यक्ति।

४५—समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि चुनाव के वर्ष को मिलाकर तीन वर्ष की होगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रबन्ध कमेटी के सदस्य तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी न चुन लिये जायें। कोई भी सदस्य पूरी या अंश में दो लगातार अवधियों तक पदासीन के बाद प्रबन्ध कमेटी में सदस्य आमेलन किये जाने के योग्य नहीं होगा। ऐसा सदस्य तीन सहकारी वर्षों की अवधि तक लगातार प्रबन्ध कमेटी से बाहर रहने के पश्चात् फिर से प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने के योग्य हो जायगा।

४६—(क) प्रबन्ध कमेटी के किसी निर्वाचित सदस्य व पदाधिकारी (सभापति व उपसभापति) का त्याग पत्र प्रबन्ध कमेटी स्वीकार करेगी।

(ख) यदि प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में कोई स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाय तो उसकी पूर्ति प्रबन्ध कमेटी के शेष सदस्यों द्वारा शेष अवधि के लिये अर्ह सदस्यों में से अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार की जा सकती है।

४७—प्रबन्ध कमेटी की बैठक, यदि आवश्यकता हो तो माह में कम से कम एक बार होगी। सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति प्रबन्ध कमेटी की अध्यक्षता करेगा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से उनके द्वारा चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। प्रबन्ध कमेटी की बैठक में पाँच सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। साधारणतया प्रबन्ध कमेटी की बैठक के दिनांक से पूर्व प्रत्येक सदस्य को सात दिन की नोटिस दी जायेगी।

४८—प्रबन्ध कमेटी के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगी। किसी भी सदस्य को ऐसे विषय पर मत देने का अधिकार न होगा जिसमें उसका व्यक्तिगत स्वार्थ हो। बराबर मत होने की दशा में सभापति

को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

४९—प्रबन्ध कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्य का विवरण कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित किया जायगा, जिस पर बैठक के सभापति और समिति के सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

५०—(क) कोई सदस्य प्रबन्ध कमेटी का सदस्य चुने जाने के योग्य न होगा, यदि :—

(१) वह २१ वर्ष से कम आयु का हो।

(२) वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो,

(३) वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो,

(४) निबन्धक की राय में उसे नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि अपील में रद्द न की गई हो,

(५) वह समिति में कोई लाभ का पद ग्रहण किये हो,

(६) वह बिना उपयुक्त कारण के कम से कम ६ मास से समिति का बकायादार हो,

(७) उसका कोई सम्बन्धी समिति में कोई लाभ का पद ग्रहण किये हो,

(८) वह नियमों में निर्धारित अन्य कोई अनर्हता अर्जित कर ले।

(ख) प्रबन्ध कमेटी का सदस्य अपने पद पर पदासीन नहीं रहेगा, यदि :—

(१) वह समिति का सदस्य न रहे, बिना उपयुक्त कारण के कम से कम ६ मास से समिति का बकायादार हो,

(२) नियमों में जैसा निर्धारित है, यदि उसका कोई सम्बन्धी समिति का कर्मचारी हो जाय,

(३) निबन्धक की राय में उसे नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो, और ऐसी दोषसिद्धि अपील में रद्द न की गई हो,

(४) उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो,

(५) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो या पागल हो गया हो,

(६) समिति के अधीन उसने कोई लाभ का पद स्वीकार कर लिया हो,

(७) उसने समिति के मूल हितों के विरुद्ध दुर्भावना से कोई कार्य समिति के हित के विरुद्ध किया हो,

(८) वह बिना उपयुक्त कारण के प्रबन्ध कमेटी की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो,

(९) उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया हो जिसके लिये एक मास की सूचना आवश्यक होगी,

(१०) नियमों के अन्तर्गत उसने कोई अन्य अनर्हता अर्जित कर ली हो।

टिप्पणी—सन्देह की परिस्थिति में उपविधि ५० (क) (५) तथा ५० (ख) (२) लागू होंगे अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में निबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।

५१—(क) अधिनियम, नियमों और उपविधियों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध कमेटी, समिति की मुख्य प्रशासनिक निकाय होगी और उसके कार्यों के संचालन के लिये उत्तरदायी होगी।

(ख) उपरोक्त अधिकार को साधारणतया बिना प्रभावित किये प्रबन्ध कमेटी के लिखित रूप से निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :—

(१) साधारणतया समिति के कार्यों का संचालन करना और यह देखना कि सदस्य अपने कर्त्तव्यों का उचित रूप से निर्वाह करते हैं अथवा नहीं।

(२) ऋण और अमानतों के जरिये सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार पूँजी एकत्र करना।

(३) सदस्यों और असदस्यों से सिंचाई शुल्क तथा अन्य धनराशियाँ वसूल करना।

(४) अधिनियम और नियमों एवं सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सदस्यों को हटाना अथवा निकालना।

(५) समिति के कार्य संचालन से सम्बन्धित सभी शिकायतों को निर्णीत करना और ऐसा करने में असमर्थ रहने पर उसे सामान्य निकाय के समक्ष अपने सुझावों सहित प्रस्तुत करना।

(६) समिति की जिम्मेदारियों का नियत समय पर भुगतान करने का प्रबन्ध करना।

(७) वाजिब धनराशि को उचित समय पर वसूली का प्रबन्ध करना।

(८) कुएं और सिंचाई के अन्य साधनों के निर्माण का उचित प्रबन्ध करना।

(९) किस्तों की वसूली तथा अन्य धनराशियों की वसूली स्थगित करना।

(१०) समिति के कागजात लेखा-परीक्षा हेतु प्रस्तुत करना और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण समिति के सचिव की सहायता से वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करने हेतु तैयार करना।

(११) उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार साधारण बैठक बुलाना।

(१२) वार्षिक साधारण अधिवेशन में समिति का गतवर्ष का हिसाब-किताब वार्षिक प्रतिवेदन और संतुलन पत्र प्रस्तुत करना और लाभ के निस्तारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

(१३) अधिकारियों के निरीक्षण और लेखा-परीक्षा पत्रों पर विचार करना और आगामी साधारण बैठक में उनके विषय में प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

(१४) समिति के कार्य संचालन से सम्बन्धित विषयों पर निर्देश देना। संचालन करना, रक्षा का प्रबन्ध करना, समझौता करना, विवाचन हेतु देना अथवा अपने किसी सदस्य के द्वारा अथवा सचिव द्वारा अथवा अन्य प्रतिनिधि द्वारा वैधानिक कार्यवाही अथवा समिति के अधिकारियों के हित में अथवा विरुद्ध दावे छोड़ना।

(१५) समिति के कार्यों को सुरक्षा हेतु उचित प्रबन्ध करना।

(१६) जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय सिंचाई समिति अथवा अन्य किसी सहकारी समिति के हिस्से खरीदना।

(१७) एक उप समिति नियुक्त करना, और यदि आवश्यक हो तो उसे अधिकार सौंपना।

(१८) हिसाब किताब की जाँच और पर्यवेक्षण करना।

(१९) नये सदस्य भर्ती करना।

(२०) नियमों और उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार हिस्सों की वापसी अथवा हस्तांतरण की स्वीकृति देना।

(२१) सभापति/सचिव द्वारा किये गये आकस्मिक खर्चों की स्वीकृति देना।

(२२) धारा १२० के अधीन निबन्धक द्वारा जारी किये गये आदेशों और धारा १२१ अथवा १२२ के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों, सहकारी नियमों और उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार :—

(अ) सचिव की नियुक्ति करना और उसका वेतन निश्चित करना।

(ब) समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सेवामुक्ति करना, निलम्बित करना अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना।

(स) कर्मचारियों के वेतन भत्ता और अंशदायी भविष्यनिधि का प्रबन्ध करना।

(द) नियम २०२ के उप नियम (११) के अनुसार कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि हेतु अंशदान को दरें निर्धारित करना।

(ई) कर्मचारियों से जमानत प्राप्त करने हेतु किस्त निर्धारित करना।

सभापति तथा उपसभापति

५२—(क) (१) सभापति और उपसभापति का चुनाव सामान्य निकाय द्वारा प्रबन्ध कमेटी के लिये चुने गये सदस्यों में से नियम ४४२ के अन्तर्गत किया जायगा और उनका कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समान रहेगा।

(२) सभापति समिति के कार्य संचालन से सम्बन्धित सामान्य पर्यवेक्षण, नियंत्रण और पथ-प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों तथा प्रबन्ध कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

सभापति के साधारणतया उपरोक्त अधिकारों को बिना प्रभावित किये विशिष्ट रूप से निम्नलिखित अधिकार होंगे :—

(१) सभापति किसी भी बैठक को स्थगित कर सकता है जब कि :—

(अ) ऐसी अव्यवस्था हो जाय कि कार्यवाही का संचालन सम्भव न हो अथवा जब अनुशासन और कानून के भंग होने की सम्भावना हो।

(ब) बैठक में उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक बैठक के स्थगन हेतु माँग करें अथवा मत दें।

(२) ऐसे कार्यों और कर्त्तव्यों का निर्वाह करना जोकि उसे समिति की सामान्य निकाय अथवा प्रबन्ध कमेटी द्वारा सौंपे गये हों।

(३) प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति से अपने अधिकार और कर्त्तव्यों में से किन्हीं को सभापति अथवा सचिव को लिखित रूप में सौंपना और सौंपे गये किसी अधिकार अथवा कर्त्तव्य को रद्द करना।

(ख) यदि सभापति या उपसभापति का स्थान अकस्मात रूप से रिक्त हो जाये तो उसकी पूर्ति नियम ४३७ की प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

५३—नियमों में अतिरिक्त प्राविधान को छोड़कर उपसभापति, सभापति की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय अथवा प्रबन्ध कमेटी की अध्यक्षता करेगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति से सभापति द्वारा लिखित रूप में उसे सौंपे गये हों।

सचिव

५४—धारा १२० के उपबन्धों तथा धारा १२१ या १२२ के अधीन बने विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रबन्ध कमेटी एक वैतनिक सचिव की नियुक्ति करेगी। धारा ३१ की उपधारा (२) के प्राविधानों और नियमों के अधीन सचिव समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और उसके निम्नलिखित अधिकार तथा कर्त्तव्य होंगे :—

(१) सामान्य निकाय और प्रबन्ध कमेटी की बैठकें बुलाने का प्रबन्ध करना।

(२) सामान्य निकाय और प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की कार्यवाही अभिलिखित करना या कराना।

(३) कार्यालय के कार्य की देखभाल करना और हिसाब-किताब तथा अन्य रजिस्टरों के ठीक प्रकार रक्खे जाने का उत्तरदायी होना।

(४) समिति के कर्मचारियों पर प्रशासनिक प्रभाव रखना।

(५) प्रबन्ध कमेटी के द्वारा लगायी गई किन्हीं शर्तों अथवा एक के अधीन :—

(अ) अमानतें और ऋण स्वीकार करना और उनकी रसीदें देना।

(ब) यदि समिति में खजांची नहीं है तो तहवील रखने और उसकी अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होना।

(स) समिति द्वारा प्राप्त किये गये अन्य धन की रसीदें निगमित करना।

(द) बजट के अनुसार व्यय करना जैसे कि वेतन और यात्रा सम्बन्धी भत्ता व अन्य भत्तों का भुगतान करना।

(य) बजट में निर्धारित सीमा के अधीन सभापति द्वारा निश्चित सीमा तक आकस्मिक खर्चे करना।

(र) डाकखाने अथवा दूसरे बैंकों में समिति के चालू, बचत और सावधि निक्षेप (**fixed deposit**) खातों को चलाना।

(ल) अधिनियम, नियमों, उपविधियों और प्रस्तावों के अनुसार समिति के धन का विनियोजन करना।

(व) आपात्तिक कार्य का निर्वर्तन (**disposal**) करना।

(श) समिति की ओर से समस्त प्रलेखों को प्रमाणित करना और हस्ताक्षर करना और पत्र व्यवहार करना।

(७) ऐसे सभी कार्य करना और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना जोकि अधिनियम और नियमों के अधीन दिये गये हों।

(८) ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जोकि उसके लिये उपविधियों में और प्रस्तावों द्वारा नियत किये गये हों। अथवा समय समय पर सभापति, प्रबन्धक कमेटी अथवा सामान्य निकाय द्वारा उसे सौंपे गये हों।

लेखे और रजिस्टर

५५—नियम ३६४ में अपेक्षित समस्त रजिस्टर और लेखा पुस्तकें रखी जायेंगी। इसके अतिरिक्त समिति आवश्यक अभिलेख रखेगी जोकि समिति के सुचारु रूप से संचालन के लिये आवश्यक हो, विशेष रूप से :—

(१) बारबन्दी रजिस्टर।

(२) खसरा जिसमें सदस्यों के खेतों के नम्बर और क्षेत्रफल दिखाये गये हों जो समिति ने संचित किये हो।

(३) सिंचाई के साधन के संचय क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) का नक्शा।

(४) समिति द्वारा रखी गई मशीनों का विस्तृत विवरण उनमें हुये धारण-विघर्षण (wear and tear) का विवरण तथा लाग बुक इत्यादि रखना।

(५) अन्य कोई रजिस्टर अथवा लेखा जिसकी आवश्यकता पड़े।

अंशदायी भविष्य निधि

५६--(क) धारा ६३ (१) के प्राविधानों के अनुसार समिति अपने कर्मचारियों के लिये अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना निम्न प्रकार करेगी :-

(१) कर्मचारी द्वारा दिये जाने वाले मासिक अंशदान की दर ऐसी होगी जैसा कि वह चाहे लेकिन यह कर्मचारी के मासिक वेतन के ५ प्रतिशत से कम और १५ प्रतिशत से अधिक न होगी।

(२) सहकारी वर्ष के अन्त में समिति द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की दर समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित की जायगी।

प्रतिबन्ध यह है कि समिति निबन्धक की स्वीकृति के बिना कर्मचारियों के प्राप्त वेतन के ६¼ प्रतिशत से अधिक अंशदान नहीं देगी।

प्रतिबन्ध यह है कि समिति द्वारा दिया गया अंशदान किसी भी दशा में कर्मचारी द्वारा दिये गये अंशदान से अधिक न होगा।

(ख) अंशदायी भविष्य विधि अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार विनियोजित की जायगी।

नोट : अंश दायी भविष्य निथि की सुविथायें केवल उन्हीं कर्मचारियों को उपलब्ध होंगी, जो समिति में पूणकालिक मौलिक नियुक्ति में हों।

लाभ का बितरण

५७—वर्ष का शुद्ध लाभ निकालने के लिये समिति के कुल लाभ में से निम्नलिखित मदें घटा दी जायेंगी :—

१—ब्याज जो दिया गया हो,

२—प्रबन्ध व्यय,

३—भवन और स्टाक के ह्रास के लिये,

४—बट्टा खाता फण्ड के लिये अंशदान,

५—हानि की अन्य मदें,

५८—(अ) समिति अपने शुद्ध लाभ में से—

(१) ऐसी धनराशि जो २५ प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित करेगा जो रक्षित निधि कहलायेगी, और

(२) कम से कम एक प्रतिशत की दर से सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विशेष सहकारी वर्ष में अंशदान की जाने वाली धनराशि २,५०० रुपये से अधिक हो जाय तो यह समिति पर निर्भर होगा कि वह २,५०० रुपये से अधिक धनराशि का अंशदान करे अथवा न करे।

(ब) खण्ड (अ) में उल्लिखित निस्तारण के पश्चात् शेष शुद्ध लाभ में से बांटने योग लाभ निकालने के लिये निम्नलिखित छोड़ दिया जायगा।

(१) सभी ब्याज जो अतिदेय हो,

(२) सभी अर्जित ब्याज, किन्तु जो ऐसे सदस्यों से जिनसे ब्याज अतिदेय हो, देय न हो,

(३) ऐसी उधार बिक्री पर जिसकी वसूली अतिदेय हो, अर्जित कमीशन या लाभ सीमा।

तत्पश्चात् बांटने योग्य लाभ निम्नलिखित किसी या सब मदों में बांटा जा सकता है :—

(क) सदस्यों को उनका दत्त अंशपूंजी पर ६ प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान,

(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से, जो नियमों में निर्दिष्ट हों, बोनस का भुगतान,

(ग) अशोध्य ऋण निधि, भवन निधि, ग्राम सुधार निधि या कोई अन्य निधि जो नियमों में निर्दिष्ट हों अंशदान,

(घ) चेरिटेबुल एनडाउमेंट ऐक्ट, १८६० की धारा २ (क) में यथा

परिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिये ५ प्रतिशत से अनधि
धनराशियों का दान,

(ङ) उपविधियों में निर्दिष्ट सीमा तक और रीति से समिति के कर्म
चारियों को बोनस का भुगतान, और

(च) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाना।

रक्षित निधि

५९—रक्षित निधि का विनियोग अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

६०—रक्षित निधि का विभाजन नहीं होगा और कोई सदस्य इसमें हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं होगा।

झगड़ों का निपटारा

६१—(क) इन उपविधियों के विषय में और समिति के कार्यों से सम्बन्धित समस्त झगड़े जो सदस्यों के बीच में हो कार्यकारिणी या किसी सदस्य के बीच हो तो उनका निर्णय उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९६६) और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार मध्यस्थ निर्णय द्वारा किया जायगा।

(ख) इन उपविधियों के निर्वचन सम्बन्धी कोई विवाद उठने की दशा में ऐसे विवाद को निर्वचन हेतु समिति के सचिव द्वारा निबन्धक को प्रेषित किये जायेंगे जिनका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

उपविधियों में संशोधन

६२—इस उद्देश्य से बुलाई गई विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई मतों से स्वीकृत प्रस्ताव के बिना उपविधियों में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं किया जा सकता है। ऐसी बैठक के लिये कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई को गणपूर्ति आवश्यक होगी यदि वांछित कोरम पूरा नहीं होता तो निबन्धक समिति की दूसरी बैठक बुलाने का निर्देश

कता है जिसका वांछित कोरम १/५ तक कम कर दिया जायगा और इस
ाव की सूचना सदस्यों को दे दी जायेगी।

सदस्यों को इन उपविधियों का संशोधन वितरित करने के लिये निबन्धक
पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

समिति का विघटन

६३—अधिनियम की धारा ७२ के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा किये गये
देश से समिति विघटित हो जायेगी और समिति के उपलब्ध कोषों का
तारा अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जायगा।

विविध

६४—नियम–६४ में वर्णित किसी एक अथवा अधिक दस्तावेजों की प्रमा-
त प्रतिलिपियाँ अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अधीन जारी करने
लिये समिति पचास पैसे प्रति पृष्ठ या कम से कम दो रुपया शुल्क वसूल
रेगी।

६५—प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के भत्ता सम्बन्धी नियम (उत्तर प्रदेश
हकारी समिति नियमावली, १९६८ के अध्याय २७ के नियमों को दृष्टि में
रखते हुये) सामान्य निकाय बनायेगी और समिति के कर्मचारियों के लिये यह
नियम प्रबन्ध कमेटी बनायेगा।

६६—प्रबन्ध कमेटी यदि समिति के सुचारु रूप से संचालन के लिए एक
मोटर गाड़ी खरीदना आवश्यक समझती हो तो मोटर गाड़ी के प्रकार और
उसके अनुमानित मूल्य के विषय में सामान्य निकाय से अधिकार प्राप्त करके
और निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के पश्चात्, खरीद सकती है।

निर्वाचन

६७—(क) समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन कार्य-सूची
अन्तिम मद के रूप में समिति की वार्षिक सामान्य बैठक में या ऐसी बैठक
जैसा धारा २९ में व्यवस्थित है, होगा।

(ख) यदि नियम ८४ के उपबन्धों के फलस्वरूप समिति की सामान्य निकाय का गठन प्रतिनिधियों द्वारा होना हो तो प्रबन्ध कमेटी अपने सदस्यों में से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव कराने के लिये एक संयोजक नियुक्त करेगी। संयोजक अपने निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को चुनाव के कम से कम तीन दिन पहले एक लिखित सूचना द्वारा चुनाव की तिथि, स्थान तथा समय बतायेगा। बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सद्रस्य को बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुनेगा। चुनाव हाथ उठाकर होगा। चुनाव की कार्यवाही पर संयोजक तथा बैठक के सभापति के हस्ताक्षर होंग। यह चुनाव प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के २० दिन पूर्व सम्पन्न करा लिये जायेंगे। इस बैठक की कार्यवृत्ति पंजिका चुनाव होने के बाद तुरन्त समिति के सचिव के पास जमा कर दी जायेगी।

६८—जिस वर्ष वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचन किये जाने हों, उस वर्ष किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने में नियम ४१० के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

६९—गणपूर्ति न होने या अन्य कारणों से स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक मूल बैठक को नोटिस की कार्यसूची में दिये गये समय तथा स्थान पर सोलहवें दिन (जिसके गणना में स्थगन के दिनांक को सम्मिलित करके की जायेगी) को होगी। और कार्यसूची के केवल उन्हीं मदों को किया जायगा जो मूल बैठक में रह गये हों।

७०—यथास्थिति तैयार की गयी मतदाता सूची और वैध नाम निर्देशन पत्रों की अन्तिम सूची स्थगित बैठक में निर्वाचन के लिये भी लागू होगी।

७१—समिति का सचिव समिति की नामावली के ऐसे सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा जो नियमों तथा समिति की उपविधियों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान के लिये अर्ह हो। ऐसी सूची वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के दिनांक को अथवा उसके पूर्व तक अध्यावधिक की जायगी। सूची में अलग से (अन्त में) उन सदस्यों के नाम होंगे जो मतदान करने के लिये अर्ह न हो और उसके साथ ऐसी अनर्हता के कारण भी होंगे

तथा ऐसी विधि के (उपविधि सहित) संगत उपबन्धों का उल्लेख भी होगा जिनके अन्तर्गत ऐसी अनर्हता हो गयी हो। सूची पर सचिव तथा इस कार्य के लिये प्रबन्ध कमेटी द्वारा अधिकृत प्रबन्ध कमेटी के इस सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षर किये जायेंग।

७२—सूची में अनर्ह दिखाया गया सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के लिये निश्चित दिनांक के कम से कम ३ दिन पूर्व अपना अनर्हता दूर कराने की कार्यवाही कर सकता है और यदि निर्वाचन के दिनांक के कम से कम ३ दिन पूर्व अनर्हता दूर कर दी जाय तो सम्बद्ध सदस्य को मतदान करने का अधिकार होगा।

७३—सदस्यों की सूची किसी भी सदस्य द्वारा निःशुल्क निरीक्षण करने के लिये समिति के कार्यालय में कार्य के समय में उपलब्ध रहेगी, यह सदस्यों का बेचे जाने के लिये भी उपलब्ध रहेगीं, यदि समिति का प्रबन्ध कमेटी ने ऐसा संकल्प किया हो।

बैठक का दिनांक और सदस्यों को नोटिस

७४—समिति की वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान उसका प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित किया जायगा। नोटिस उप नियमावली के अनुसार जारी की जायगी। बैठक का स्थान या तो समिति कार्यालय अथवा समिति के मुख्यालय के निकट कोई सार्वजनिक स्थान होगा, जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा तय किया गया हो। समिति की वार्षिक सामान्य बैठक ३० नवम्बर के पूर्व किसी दिनांक को या बढ़ाये गये दिनांक, यदि कोई हो, के भीतर जिसकी अनुमति निबन्धक या उनके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाय, होगी।

७५—वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जायेंगे :—

(१) प्रबन्ध कमेटी के लिये सदस्य,

(२) पूर्ववर्ती उप खण्ड (१) में निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से सभापति तथा उप सभापति।

७६—(क) निर्वाचन के लिये उम्मीदवारों के नाम निर्देशन का प्रस्ताव तथा उसका अनुमोदन बैठक में ही किया जायगा। नामों की वापसी के, यदि कोई हो, पश्चात् निर्वाचन हाथ उठाकर होगा।

(ख) उपविधि (क) में किसी बात के होते हुए भी, यदि निबन्धक की, समिति के सामान्य निकाय या समिति की प्रबन्ध कमेटी के अनुरोध पर अथवा अन्यथा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह राय हो कि निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट से अपेक्षा करेगा कि वह निर्वाचन के निमित "प्रेक्षक" के रूप में कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करे और समिति को यह निर्देश देगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का और तत्पश्चात् सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा करे।

(ग) जब निबन्धक उपविधि (ख) के अधीन निर्देश दे तब बैठक में आवश्यक शलाका पत्र तैयार किये जायेंगे जिन पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम होंगे और बैठक का सभापति "प्रेक्षक" की उपस्थिति में गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान करायेगा।

(घ) यदि निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा हो तो नियम ४२३, ४२४, ४२५, ४२६ और ४२८ के उपबन्ध यथोचित परिवर्तनों और इस परिष्कार के साथ लागू होंगे कि नियम ४२६ और ४२८ के शब्द "पीठासीन अधिकारी" का इस मामले में अभिदेश बैठक के सभापति से होगा और निर्वाचन की कार्यवाहियों पर पूर्ववर्ती उप-खण्ड में अभिदिष्ट प्रेक्षक भी हस्ताक्षर करेगा।

(ङ) बराबर मत की दशा में मामले का निर्णय पर्ची डालकर किया जायेगा।

७७—उपविधियों के किसी भी प्राविधान के, अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों से असंगत होने की दशा में, तत्समय प्रचलित अधिनियम तथा नियमों के प्राविधान प्रभावी होगें।

प्रपत्र 'अ'

सहानुभूतिकर सदस्यता का प्रार्थना-पत्र

(नियम ५१ के अधीन)

सेवा में,

मैं एतद्द्वारा सहकारी समिति..................लि० में सहानुभूतिकर सदस्य बनने के लिये प्रार्थी हूं और मैंने प्रवेश शुल्क रुपया............रसीद संख्या......................दिनांक................द्वारा उपरोक्त समिति में जमा कर दिया है।

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे......................अंश प्रविष्ट कर दिये जायें। मैं इन अंशों की प्रयुक्त या कम संख्या में, जो भी मुझे प्रदिष्ट किये जायेंगे, स्वीकार करने के लिये सहमत हूं।

प्रार्थी का विवरण :—

(१) पूरा नाम,

(२) पिता/पति का नाम,

(३) आयु,

(४) व्यवसाय,

(५) स्थायी पता,

(६) वर्तमान पता,

मैं..................एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने जो उपरोक्त विवरण दिया है वह मेरी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है तथा मैं सहकारी अधिनियम, नियमों तथा उक्त समिति की उपविधियों के अनुसार सदस्यता के लिये अर्ह हूं।

प्रार्थी का हस्ताक्षर/नि० अंगूठा

प्रपत्र 'ब'

घोषणा-पत्र

(नियम ४० के अधीन)

हम अधो हस्ताक्षरकर्त्ता जिन्होंने स्वर्गीय श्री............पुत्र.........
निवासी........................द्वारा धारित..................................
सहकारी समिति लि०...................के अं श/अं शों को संयुक्त रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, एतद्द्वारा संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से श्री.......................पुत्र.................निवासी..................
को जो कि उपरोक्त अं श/अं शों के संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी हैं, अपना प्रतिनिधि घोषित करते हैं तथा उनको नियम ४० के स्पष्टीकरण (२) के अधीन रहते हुये, उपरोक्त समिति के कार्यों में मतदान देने का अधिकार प्रदान करते हैं।

दिनांक ....सन् १९.......

हस्ताक्षर/निशानी अं गूठा

१.........................

२.........................

साक्षी

१—(१) हस्ताक्षर..............
(२) पूरा नाम.................
(३) पिता/पति का नाम..............
(४) पूरा पता.........................
२—(१) हस्ताक्षर..............
(२) पूरा नाम.................
(३) पिता/पति का नाम............
(४) पूरा पता.........................

–::०★०::–

प्रपत्र 'स'

घोषणा-पत्र

(नियम ४८ के अधीन)

......................सहकारी समिति लि०......................, में
...स्य बनने के / ...ने आवेदन पत्र के संदर्भ में एतद्द्वारा मैं घोषित करता हूँ कि मैंने समिति
...वर्तमान उपविधियों तथा समिति के अन्य विनियमों का अध्ययन कर लिया
...। समिति की वर्तमान उपविधियों तथा अन्य विनियमों को मुझे पढ़कर सुना
...या समझा दिया गया है, और मैं उनसे सहमत हूं तथा उन्हें और मेरी
...स्यता की अवधि में समय-समय पर उनमें जो परिवंतन तथा परिवर्धन
...गे, मुझे मान्य होंगे तथा मैं उनके परिपालन के लिये बाध्य हूंगा।

...ांक............सन् १९......

हस्ताक्षर
या
निशानी अं गूठा

...क्षी

...—(१) हस्ताक्षर..................,
(२) पूरा नाम....................,
(३) पिता/पति का नाम..................,
(४) पूरा पता..............................।
...—(१) हस्ताक्षर..................,
(२) पूरा नाम......................,
(३) पिता/पति का नाम...............,
(४) पूरा पता..............................।

★::०::★

...मु०पी०—८ आर० सी०—१९७०—१००० पुस्तक (पी पी–२०)

प्रपत्र 'अ'

सहानुभूतिकर सदस्यता का प्रार्थना-पत्र

(नियम ५१ के अधीन)

सेवा में,

मैं एतद्द्वारा सहकारी समिति..................लि० में सहानुभूतिकर सदस्य बनने के लिये प्रार्थी हूं और मैंने प्रवेश शुल्क रुपया............रसीद संख्या......................दिनांक.............द्वारा उपरोक्त समिति में जमा कर दिया है।

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे......................अंश प्रविष्ट कर दिये जायें। मैं इन अंशों की प्रयुक्त या कम संख्या में, जो भी मुझे प्रदिष्ट किये जायेंगे, स्वीकार करने के लिये सहमत हूं।

प्रार्थी का विवरण :—

(१) पूरा नाम,

(२) पिता/पति का नाम,

(३) आयु,

(४) व्यवसाय,

(५) स्थायी पता,

(६) वर्तमान पता,

मैं.................एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने जो उपरोक्त विवरण दिया है वह मेरी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है तथा मैं सहकारी अधिनियम, नियमों तथा उक्त समिति की उपविधियों के अनुसार सदस्यता के लिये अर्ह हूं।

प्रार्थी का हस्ताक्षर/नि० अंगूठा

प्रपत्र 'ब'

घोषणा-पत्र

(नियम ४० के अधीन)

हम अधो हस्ताक्षरकर्त्ता जिन्होंने स्वर्गीय श्री..........पुत्र........ निवासी..................द्वारा धारित........................... सहकारी समिति लि०................के अंश/अंशों को संयुक्त रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, एतद्द्वारा संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से श्री....................पुत्र..............निवासी................ को जो कि उपरोक्त अंश/अंशों के संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी हैं, अपना प्रतिनिधि घोषित करते हैं तथा उनको नियम ४० के स्पष्टीकरण (२) के अधीन रहते हुये, उपरोक्त समिति के कार्यों में मतदान देने का अधिकार प्रदान करते हैं।

दिनांक ....सन् १९......

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

१......................

२......................

साक्षी

१—(१) हस्ताक्षर............

(२) पूरा नाम.................

(३) पिता/पति का नाम..........

(४) पूरा पता.....................

२—(१) हस्ताक्षर.............

(२) पूरा नाम..................

(३) पिता/पति का नाम..........

(४) पूरा पता......................

—::०★०::—

प्रपत्र 'स'

घोषणा-पत्र

(नियम ४८ के अधीन)

....................सहकारी समिति लि०...................., में सदस्य बनने के अपने आवेदन पत्र के संदर्भ में एतद्द्वारा मैं घोषित करता हूँ कि मैंने समिति की वर्तमान उपविधियों तथा समिति के अन्य विनियमों का अध्ययन कर लिया है। समिति की वर्तमान उपविधियों तथा अन्य विनियमों को मुझे पढ़कर सुना तथा समझा दिया गया है, और मैं उनसे सहमत हूं तथा उन्हें और मेरी सदस्यता की अवधि में समय-समय पर उनमें जो परिवर्तन तथा परिवर्धन होंगे, मुझे मान्य होंगे तथा मैं उनके परिपालन के लिये बाध्य हूंगा।

दिनांक..........सन् १९......

हस्ताक्षर
या
निशानी अंगूठा

साक्षी

१—(१) हस्ताक्षर................,

(२) पूरा नाम...................,

(३) पिता/पति का नाम................,

(४) पूरा पता............................।

२—(१) हस्ताक्षर................,

(२) पूरा नाम...................,

(३) पिता/पति का नाम..............,

(४) पूरा पता............................।

★::०::★

पी०एस०यू०पी०—८ आर० सी०—१९७०—१००० पुस्तक (पी पी–२०)